न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, (उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–6, लखीमपुर खीरी।

प्रकीर्ण फौजदारी संख्या–214/2022

रजि नं०–1085/2022

CNR No. UPLP01–008942–2022

महबूब खां पुत्र शमशाद खां निवासी ग्राम बरैंची, थाना पसगवां जनपद खीरी।

----प्रार्थी/ अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार।

--------विपक्षी।

अंतर्गत धारा–16 गिरोहबन्द
एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप
(निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–पसगवां,
जिला–लखीमपुर खीरी।

निर्णय

वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त महबूब खां द्वारा अन्तर्गत धारा–16 उ.प्र. गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 14–11–2022 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा प्रार्थी की चल/ अचल संपत्तियों को उ.प्र. गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14/15/16 के अंतर्गत कुर्क/ जब्त किया गया है।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) उपस्थित। प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत प्रार्थी/ अभियुक्त अनेकानेक तिथियों से निरन्तर अनुपस्थित है। पत्रावली से यह भी परिलक्षित होता है कि प्रार्थी/उसके अधिवक्ता को सुनवाई की सूचना विधिवत प्राप्त थी; अनेक अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद प्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ; न तो कोई समुचित स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रार्थी का उक्त आचरण यह दर्शाता है कि उसे प्रार्थना पत्र के संचालन में कोई रुचि नहीं है और वह पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद निरंतर अनुपस्थित है।

यद्यपि मात्र अनुपस्थिति के आधार पर प्रार्थना पत्र को यांत्रिक रूप से निरस्त करना विधिसंगत नहीं होगा, तथापि न्यायालय का दायित्व है कि उपलब्ध अभिलेख एवं आलोच्य आदेश का परीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर निष्कर्ष निकाले। अतः प्रकरण का परीक्षण अभिलेखीय सामग्री के आधार पर गुण–दोष (on merits) पर किया जा रहा है। वर्तमान प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दु परीक्षण योग्य है–

– क्या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता, अधिकारिता संबंधी त्रुटि अथवा प्रत्यक्ष मनमानी परिलक्षित होता है?

– क्या कुर्क संपत्ति एवं कथित गैंग गतिविधि के मध्य प्रथमदृष्टया सम्बन्ध स्थापित है?

– क्या आलोच्य आदेश हस्तक्षेप योग्य है?

जिला मजिस्ट्रेट की कार्यवाही के अभिलेख से परिलक्षित होता है कि पुलिस रिपोर्ट, गैंगचार्ट, वित्तीय विवरण एवं अन्य उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया गया व तत्पश्चात कारणयुक्त आदेश पारित किया गया। अतः प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का कोई आधार अभिलेख से परिलक्षित नहीं होता।

आलोच्य आदेश से यह भी परिलक्षित होता है कि कुर्क संपत्ति के संबंध में उपलब्ध सामग्री, आय स्रोतों, वित्तीय लेन–देन एवं अभियोजन रिपोर्ट का परीक्षण कर यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया कि संपत्ति का अर्जन कथित आपराधिक गतिविधियों से संबंधित प्रतीत होता है। उक्त के विपरीत प्रार्थी की ओर से

इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य व सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उक्त निष्कर्ष प्रथम दृष्टया असंगत, मनमाना अथवा पूर्णतः निराधार प्रतीत हो।

पुनः प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा निरंतर अनुपस्थित रहकर न तो आलोच्य आदेश की त्रुटियों को इंगित किया गया और न ही वैध स्रोतों से संपत्ति अर्जन संबंधी कोई विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। यद्यपि केवल अनुपस्थिति प्रार्थना पत्र के निरस्तीकरण का आधार नहीं हो सकती, तथापि गुण–दोष पर परीक्षण में खण्डन के पूर्ण अभाव का प्रतिकूल प्रभाव प्रार्थी/ अभियुक्त पर पड़ना स्वाभाविक है।

इस प्रकार समस्त अभिलेखीय सामग्री, आलोच्य आदेश तथा उपलब्ध रिकॉर्ड के परीक्षण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया कारणयुक्त, अधिकारिता के अन्दर एवं उपलब्ध सामग्री पर आधारित है। इसमें ऐसी कोई प्रत्यक्ष अवैधता, मनमानी, दुर्भावना अथवा क्षेत्राधिकारिता सम्बन्धी त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है, जिससे इस न्यायालय द्वारा कोई भी हस्तक्षेप अपेक्षित हो। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/ अभियुक्त महबूब खां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14–11–2022 की पुष्टि की जाती है।

इस आदेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट,लखीमपुर–खीरी को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6
लखीमपुर–खीरी।
J.O. Code–UP1561

दिनांक: 04–06–2026

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.06.04 17:27:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court